



संख्या 2208/जी0एस0(शिक्षा)/A11-264/2024

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल।

3 SEP 2024

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून दिनांक - अगस्त, 2024

कृपया श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 231208024710 दिनांक 20.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनता गर्ल्स डिग्री कॉलेज सुल्तानपुर कुन्हारी सभा, हरिद्वार को बी0ए0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम-2011 (यथा संशोधित) के अध्याय-06 की धारा-33(1) के अन्तर्गत महाविद्यालय को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	जनता गर्ल्स डिग्री कॉलेज सुल्तानपुर कुन्हारी सभा, हरिद्वार।	बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, ड्राइंग एण्ड पेन्टिंग)	60 सीट प्रति विषय	2024-25

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, संस्थान में यू0जी0सी0 विनियम, 2009 के उपनियम 3.4.7 में निहित व्यवस्थानुसार फ़ैकल्टी की नियुक्ति करवाते हुए, निर्धारित अवधि के भीतर फ़ैकल्टी का अनुमोदन करना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण

1/2208/2024

1/2208/2024

दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Signed by Ravinath Raman
Date: 02-09-2024 14:30:24

भवदीय,

(रविनाथ रामन)
कुलाधिपति के सचिव

संख्या : 2208/जी0एस0(शिक्षा)/A11-264/2024 तदुद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य- सम्बन्धित महाविद्यालय।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Signed by Swati S
Bhadoria

Date: 03-09-2024 13:30:17 (स्वाति एस0 भदौरिया)

आज्ञा से,

कुलाधिपति के अपर सचिव।